



127/2026/1/1339735/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक- '2210-05-105-03-91' मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 1200.00 लाख (₹0 बारह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।
6. वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050391 मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज मानक मद 31 सहायता अनुदान सामान्य - (वेतन) के नामे डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।